रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 1973/भाद्र 15, 1895
No. 219] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 1973/BHADRA 15, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September 1973

G.S.R. 421(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title, commencement and application.**— (1) These rules may be called the National Savings Certificates (V Issue) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the 1st December, 1973.

(3) They shall apply to National Savings Certificates (V Issue).

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(i) "Act" means the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959);

(ii) "Certificates" means National Savings Certificate (V Issue);

(iii) "Form" means a Form appended to these rules;

(iv) "Government company" means a company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(v) "identity slip" means an identity slip issued to a holder of a certificate under rule 11;

(vi) "old certificate" means a certificate issued under the Post Office Saving Certificates Rules, 1960 or the National Savings Certificates (First Issue) Rules 1965;

(vii) "post office" means any post office in India doing Savings Bank work.

3. **Denominations in which certificates shall be issued.**—National Savings Certificates (V Issue) shall be issued in denomination of Rs. 10, Rs. 50 and Rs. 100.

4. **Types of Certificates and Issue thereof.**—(1) The certificate shall be of the following types, namely:—

(a) Single Holder Type Certificates;

(b) Joint 'A' Type Certificates; and

(c) Joint 'B' Type Certificates.

(2) (a) Single Holder Type Certificates may be issued to an adult for himself or on behalf of a minor or to a minor.

(b) Joint 'A' Type Certificates may be issued to two adults payable to both holders jointly or to the survivor;

(c) Joint 'B' Type Certificates may be issued jointly to two adults payable to either of the holders or the survivor.

5. **Purchase of Certificates.**—Certificates may be purchased for any amount.

6. **Procedure for Purchase of Certificates.**—Any person desiring to purchase a certificate shall present on or after the 1st October, 1973 an application in Form I (obtainable free at all post offices) either in person or through his messenger or an authorised agent of the Small Savings Scheme.

7. **Legal Tender.**—Payment for the purchase of a certificate may be made to a post office in any of the following modes, namely:—

(i) Cash;

(ii) a cheque, pay order or demand draft;

(iii) duly signed withdrawal form together with the pass book for withdrawal from the post office savings bank account;

(iv) surrender of a matured old certificate duly discharged as follows "Received payment through issue of fresh certificates vide application attached".

8. **Issue of Certificates.**—(1) On payment being made under rule 7, a certificat shall normally be issued immediately and except as otherwise provided in these rules, the date of such certificate shall be the date of its issue:

Provided that when payment is made by means of a cheque, pay order or demand draft, a certificate shall not be issued before the proceeds of the cheque, pay order, or demand draft are realised.

(2) If for any reason a certificate cannot be issued immediately, a provisional receipt shall be given to the purchaser which may later be exchanged for a certificate and in such a case the date of certificate shall be the date of the provisional receipt.

9. **Certificate in lieu of Projects of Old Certificate.**—A holder of an old certificate entitled to encash that certificate may make an application in Form 1 for the grant of a certificate under these rules; on receipt of such an application there shall be issued to the applicant a certificate under these rules, the date of issue being the date on which the old certificate matured.

10. **Irregular Holdings.**—(1) Any certificate purchased or acquired in contravention of these rules shall be encashed by the holder as soon as the fact of the holding being in contravention of these rules, is discovered and no interest shall be paid on any holding in contravention of these rules.

(2) If any interest has been paid on any holding which is in contravention of these rules, it shall be forthwith refunded to the Government failing which the Government shall be entitled to recover the amount involved from any money payable by the Government to the investor or as an arrear of land revenue.

11. **Identity slip.**—(1) If a request for issue of an identity slip is made at an time by an individual adult holder of a certificate including a holder on behalf of a minor or by joint holders to the Post Master of the post office where the certificate stands registered, an identity slip shall be issued to such holder or holders on his or their signing the identity slip.

(2) The identity slip shall be surrendered at the time of the final discharge of the certificate or in case of its loss, a declaration of such loss shall be furnished to the post office in the form laid down by the Director General, Posts and Telegraphs.

12. **Transfer from one Post Office to another.**—(1) A certificate may be transferred from Post Office at which it stands registered, to any other Post Office on the holder or holders making an application in the form laid down by the Director General, Posts and Telegraphs, at either of the two Post Offices.

(2) Every such application shall be signed by the holder or holders thereof;

Provided that in the case of a Joint Type Certificate the Application may be signed by one of the holders if the other is dead.

13. **Transfer of Certificate from one Person to another.**—(1) A certificate may be transferred with the previous consent in writing of an officer of the Post office as specified below (hereinafter referred to in these rules as authorised Postmaster).

Cases in which transfer can be sanctioned	Designation of the officer competent to grant permission for transfer
(a) (i) From the name of a deceased holder to his heir (ii) From a holder to a court of law, or to any other person under the orders of a court of law. (iii) From a single holder to the names of two joint holders of whom the transferor shall be one (iv) From joint holders to the name of one of the joint holders	Head Postmaster or Sub-Postmaster of the Post Office where the certificate stands registered
(b) All other cases.	Head Postmaster.

(2) An authorised Postmaster shall give his consent to the transfer of a certificate only if the following conditions are satisfied, namely:—

(a) The transfer of the certificate is effected after the expiry of one year from the date of issue or where the transfer is effected before that period, the transfer falls under any of the following categories, namely:—

(i) transfer to a near relative out of natural love and affection;

Explanation.—'Near relative' means a husband, wife, lineal ascendant or descendent, brother, or sister.

(ii) transfer in the name of the heir of the deceased holder;

(iii) transfer from a holder to a court of law or to any other person under the orders of a court of law;

(iv) transfer in accordance with rule 15, and

(v) transfer in the name of the survivor in the event of the death of one of the joint holders.

(b) An application for the transfer is made in the form laid down by the Director General, Posts and Telegraphs. Every such application shall be signed by the holder or holders thereof;

Provided that in the case of a Joint Type Certificate the application may be signed by one of the holders if the other is dead.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-rule (2), an authorised Postmaster shall give his consent to the transfer of a certificate held on behalf of a minor only, if at the time of the proposed transfer, a parent or the guardian referred to in sub-clause (i) or as the case may be, sub-clause (ii) of clause (b) of section 5 of the Act, certifies, in writing, that the minor is alive and that such transfer is in his interest.

(4) In every case of transfer, other than a transfer under rule 15 the original certificate shall be duly discharged and the new certificate bearing the same date as that of the original certificate surrendered shall be issued in the name of the transferee.

14. **Transfer from Single Holding to Joint Holding and vice versa.**—Subject to the provisions contained in sub-rule (1) of rule 13, on an application to this effect being made:—

(a) a certificate in the name of a single holder may be tranferred to the joint names of the holder and any other person;

(b) a certificate in the names of joint holders may be transferred to the name of one of the joint holders.

15. **Pledging of Certificate.**—(1) On an application being made in the form laid down by the Director General, Posts and Telegraphs by the transferor and the transferee, Postmaster of the office of registration may at any time permit the transfer of any certificate as security to—

(a) the President of India or Governor of a State in his official capacity;

(b) the Reserve Bank of India or a scheduled bank, or a Co-operative Society including a co-operative bank;

(c) a corporation or a Government company; and

(d) a local authority:

Provided that the transfer of a certificate purchased on behalf of a minor shall not be permitted under this sub-rule unless the purchaser of the certificate certifies that the minor is alive and the transfer is for the benefit of the minor.

(2) When any certificate is transferred as security under sub-rule (1), the Postmaster of the office of registration shall make the following endorsement on the certificate, namely:—

"Transferred as security.

(3) Except as otherwise provided in these rules, the transferee of a certificate under this rule shall, until it is re-transferred under sub-rule (4), be deemed to be the holder of the certificate.

(4) A certificate transferred under sub-rule (2) may, on the written authority of the pledgee, be re-transferred with the previous sanction in writing of the authorised Postmaster and when any such re-tranfer is made, the Postmaster of the office of registration shall make the following endorsement on the certificate, namely:—

"Re-transferred to ....."

NOTE 1.—A gazetted officer of the Government accepting the certificates as security under sub-rule (1) or releasing the pledge under sub-rule (4) on behalf of the President or the Governor of a State shall certify that he is duly authorised under article 299 of the Constitution *vide* Notification No. dated by the Government of India in the Ministry of ..... /State Government ..... to execute such instruments or deeds on behalf of the President of India/Governor of ..... State".

NOTE 2.—An officer of the Reserve Bank of India or a scheduled bank or a cooperative society, including a cooperative bank, a corporation or a Government company or a local authority, as the case may be accepting the certificate as security under sub-rule (1) or releasing the pledge under sub-rule (4) on behalf of the respective institution, shall certify under his dated signature and seal of office that he is duly authorised under the articles of the said institution, to execute such instruments or deeds on its behalf.

(5) Where as a result of several endorsements made under sub-rules (2) and (4) on a certificate, no space is left for making further endorsements of a like character on that certificate, a fresh certificate may be issued by the Postmaster of the office of registration in lieu of such certificate.

(6) A fresh certificate issued under sub-rule (5) shall be treated as equivalent to the certificate in lieu of which it has been issued for all the purposes of these rules.

16. **Replacement of lost or destroyed certificate.**—(1) If a certificate is lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, the person or persons entitled thereto may apply for the issue of a duplicate certificate to the post office, where the certificate is registered or at any other post office in which case the application will be forwarded to the post office of registration.

(2) Every such application shall be accompanied by:—

(a) a statement showing particulars, such as, number, amount and date of the certificate and the circumstances attending such loss, theft, destruction, mutilation or defacement;

(b) an identity slip, if any.

(3) If the officer in charge of the post office of registration is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the certificate, he shall issue a duplicate certificate in the form laid down by the Director General, Posts and Telegraphs on the applicant's furnishing an indemnity bond in the form laid down by the Director General, Posts and Telegraphs with one or more approved sureties or with a bank's guarantee:

Provided that where the face value or the aggregate face value of the certificate or certificates lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced is Rs. 500 or less, a duplicate certificate or certificates may be issued on the applicant furnishing an indemnity bond without any such surety or guarantee:

Provided further that where such application is made with respect to a certificate mutilated or defaced, of whatever face value, a duplicate certificate may be issued without any such indemnity bond surety or guarantee, if the certificate mutilated or defaced and the identity slip, if any, are surrendered and the certificate is capable of being identified as the one originally issued.

(4) A duplicate certificate issued under sub-rule (3) shall be treated as equivalent to the original certificate for all the purposes of these rules except that it shall not be encashable at a Post Office other than the Post Office at which such certificate is registered without previous verification.

17. Nomination.—(1) The holder of a Single Type Certificate referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 4 may nominate any person who, in the event of his death, shall become entitled to the certificate and to the payment of the amount due thereon, by filling in necessary particulars in Form 1 at the time of purchasing the certificate. If such a holder does not fill the necessary particulars regarding nomination in Form 1 at the time of purchasing the certificate, he may at any time after the purchase of the certificate but before the maturity thereof, make an application in Form 2 to the Posmaster of the office at which the certificate stands registered, nominating any person who in the event of his death shall become entitled to the certificate and to the payment of the amount due thereon:

Provided that the holder shall not be entitled to nominate more than one person.

(2) No nomination shall be made in respect of a certificate applied for and held by or on behalf of a minor.

(3) A nomination made by the holder of a certificate under this rule may be cancelled or varied by submitting an application in Form 3 affixing postage stamps of the value specified in sub-rule (3) of rule 28 together with the certificate to the Postmaster of the post office at which the certificate stands registered.

NOTE.—Separate application shall be made in respect of certificates registered at different times.

(4) The nomination or the cancellation of a nomination or the variation of a nomination shall be effective from the date it is registered in the post office, which date shall be noted on the certificate.

18. **When encashable**—(1) Except as provided in sub-rule (2) a National Savings Certificate (V Issue) of any denomination may be encashed at any time after the expiry of 3 years from the date of issue.

(2) A certificate may be encashed before its period of non-encashability under any of the following circumstances, namely:—

(a) on the death of the holder or both the holders in the case of a joint holding;

(b) on forfeiture by a pledgee being a Gazetted Government officer, where the pledge is in confirmity with the provisions of these rules;

(c) when the certificate has been issued in contravention of these rules; and

(d) where ordered by a court of law.

19. **Place of encashment.**—A certificate shall be encashable at the post office at which it stands registered:

Provided that a certificate may be encashed at any other post office if the officer-in-charge of that post office is satisfied on production of identity slip or on verification from the office of its registration that the person presenting the certificate for encashment is entitled thereto.

20. **Discharge of Certificates.**—(1) The person entitled to receive the amount due under a certificate shall, on its encashment, sign on the back thereof in token of having received the payment.

(2) In the case of a certificate purchased on behalf of a minor who has since attained majority, the certificate shall be signed by that person himself, but his signature shall be attested either by the person who purchased it on his behalf or by any other person who is known to the Postmaster.

(3) A certificate of discharge may be issued by the post office to any person encashing a certificate on payment of the fee specified in clause (iii) of sub-rule (1) of rule 28.

21. **Encashment of Minor's Certificate.**—(1) A person encashment a certificate on behalf of a minor shall furnish a certificate that the minor is alive and that the money is required on behalf of the minor.

(2) When the nominee is a minor, the person appointed under sub-section (3) of section 6 of the Act while encashing the certificate, shall furnish a certificate that the minor is alive and that the money is required on behalf of the minor.

22. **Payment to Heirs.**—(1) For the purposes of sub-section (4) of section 7 of the Act the authorities named below shall be competent to sanction claims upto the limit noted against each on the death of the holder of the certificate, without producion of the probate of his will or letters of administration of his estate or succession certificate granted under the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925):—

Time Scale Departmental Sub-Postmasters	— Rs. 100/-
Sub-Postmasters in Lower Selection Grade	— Rs. 250/-
Non-Gazetted H. P. Ms. and S. P. Ms. in higher selection grade	— Rs. 500/-
Gazetted P. Ms. and Superintendent of Post Offices Sr. Superintendent of Post Offices	— Rs. 3000/-
Heads of Postal Circles (Assistant Directors/A.P.M.G's)	— Rs. 5000/-

(2) A declaration shall be furnished by the claimant that to the best of his knowledge, there exist no other certificates in the name of the deceased other than those for which payment is sought and that if subsequently any more such certificates be found in excess of the value of Rs. 5,000 legal evidence of heirship as required by the post office will be produced.

23. **Encashment of Certificate held by Army and Air Force Personnel.**—Where on the death of desertion of any person holding a certificate and subject to the Army Act, 1950 (46 of 1950), or the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), the Commanding Officer of the Corps department, detachment or unit to which the deceased or deserter belonged, or the Committee of Adjustment as the case may be, sends under section 3 read with section 4 of the Army and Air Force (Disposal of Private Property) Act, 1950 (40 of 1950), a requisition to the officer-in-charge of the post office where the certificate stands registered, to pay to him or it, the amount due under the certificate, the officer of the post office shall be bound to comply with such requisition.

24. **Right of Nominees.**—(1) In the event of the death of the holder of a certificate, in respect of which a nomination is in force, the nominee or nominees shall be entitled at any time before or after the maturity of the certificate to:

(a) encash the certificate; or

(b) sub-divide the certificate in appropriate denominations in favour of individual nominees or two adult nominees jointly.

(2) For the purpose of sub-rule (1), the surviving nominee or nominees shall make an application to the postmaster of the office of registration, supported by proof of death of the holder and of a deceased nominee if any.

(3) If there are more nominees than one, all the nominees shall give a joint discharge of the certificate at the time of receiving payment or sub-division.

NOTE.—When there is a nomination in favour of a single nominee or two adult nominees the post office of registration may, on an application made in that behalf, issue a fresh certificate in the name of such nominee or nominees jointly as the case may be.

25. **Conversion from one Denomination to Another.**—(1) Certificates of lower denomination may be exchanged for a certificate or certificates of higher denomination of the same face value or a certificate of higher denomination may be exchanged for certificates of lower denomination of the same face value.

(2) The date of issue of the exchanged certificate shall be the same as that of the original certificate surrendered and not the date on which it is exchanged.

26. **Amount payable on discharge of certificate.**—(1) The amount (including interest) payable on certificates of different denominations after each completed year of retention shall be as in the following table, namely:—

TABLE

Surrender Value of National Savings Certificates (V Issue)

Face value	Amount (including interest) payable after complete year				
Years	3	4	5	6	7
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Rs. 10	12.20	12.20	14.20	14.20	16.60
Rs. 50 . . .	16.00	61.00	71.00	71.00	83.00
Rs. 100 . . .	122.20	122.00	142.00	142.00	166.00

(2) The surrender value of 7 Year National Savings Certificates (V Issue) encashed under rule 18(2) shall be as shown in the following Table, namely:—

TABLE

Surrender value of 7-Year National Savings Certificates (V Issue) under rule 18(2)

	Rs.	Rs.	Rs.
Face value	10.00	50.00	100.00
Surrender value after the expiry of one year but before expiry of 2 years from the date of issue	10.60	52.85	105.75
Surrender value after expiry of 2 years but before expiry of 3 years from date of issue	11.25	56.30	112.60

27. **Income-tax.**—Interest on these certificates will be liable to tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), but no tax will be deducted at the time of payment of the discharge value of the certificate.

28. **Fees.**—(1) A fee of twenty-five paise shall be chargeable in respect of the following transactions, namely:—

(i) transfer of a certificate from one person to another (other than a transfer under rule 14, or transfer from the name of a deceased holder to his heir or from a holder to court of law or to any other person under the orders of a court of law, or transfer made under rule 15 or transfer referred to in sub-clause (v) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 13;

(ii) issue of a duplicate certificate under rule 16;

(iii) issue of a certificate of discharge under rule 20;

(iv) conversion from one denomination to another under rule 25.

(2) A fee of fifty paise shall be chargeable on every application for registration of nomination, or of any variation in nomination or cancellation thereof;

Provided that no fee shall be charged on an application for registration of the first nomination.

29. **Responsibility of the Post Office.**—The post office shall not be responsible for any loss caused to a holder by any person obtaining possession of a certificate and fraudulently encashing it.

30. **Rectification of Mistake.**—The Director General, Posts and Telegraphs, or the Postmaster General or Heads of Postal Divisions in their respective jurisdictions, may, either *suo motu* or upon an application by any person interested in any certificate issued in pursuance of these rules, rectify any clerical or arithmetical mistakes with respect to that certificate, provided that does not involve any financial loss to the Government or to any such person.

FORM I

(*See* rule 6)

Form of Application for the purchase of National Savings Certificates (V Issue)

(1) I/We hereby apply for the purchase of National Savings Certificates (V Issue) detailed in the statement below and tender the amount shown in column 1 of the statement.

Form of tender	Amount	Denomination of certificates applied for	No. of certificate required	*Type of joint certificates required ('A' or 'B' type)	Total face value
	Rs.	Rs.			Rs.
1		2	3	4	5
(I) Cash					
(II) Cheque, demand draft or an approved local Bank's Pay Order or Pay slip No. dated . . . . . on————bank		10			
(III) Application for withdrawal from P.O. Savings Bank .		50			
(IV) Matured Certificates for re-investment . . .		100			
Total face value . . .					

*To be filled in only in case of joint holding.

(*a*) **In my/our name (s).....
(In block capitals) with *aliases*, if any.

**For Single or joint holder.

(*b*) †On behalf of minor.....
(Block Capitals)

†For purchase on behalf of minor.

Date of birth of minor.....

& to be made encashable by the minor's—

(*i*) Father, (*ii*) Mother, (*iii*) Either parent, (*iv*) Legal Guardian.

& (Cross out the alternative not required or all the items, if it is not desired to make an authorisation).

[Cross out (*a*) or (*b*) whichever is not required].

(2) I/We hereby agree to abide by the National Savings Certificates (V Issue) Rules, 1973.

(3) ***I/We do/do not require identity slip. [In case of an investment through an authorised agent or a messenger, specimen signature(s) and marks of identification should be given below paragraph (5)].

***Cross out whichever is not applicable.

NOTE.—No identity slip shall be issued to a person other than the one authorised *vide* paragraph (1)(b) above in case of purchase on behalf of a minor.

....

Signature (not thumb impression) of the person(s) authorised, if any, per paragraph (1)(b) above.

Signature or thumb impression (if illiterate) of investor.

Date ..... Date .....

Address ..... Address .....

....

NOTE.—In case of an illiterate applicant, the father's name may be given.

(4) The certificate(s) and the identity slip may be made over to my/our agent Shri/Smt. ..... Authority No. ..... or messenger who presents this application. (Cross out words not applicable).

*.....

Signature or thumb impression (if illiterate) of investor.

Date .....

*To be signed or thumb impression affixed only when the investor does not take delivery of certificates personally.

(5) Received the Certificates detailed above @ and identity slip. @ Cross out, if the identity slip is not to be issued.

.....

Signature or thumb impression of purchaser or his agent/messenger.

(In case of authorised agent his Authority No. should be given).

Marks of Identification.

Specimen signature.

(6) ++Under provisions of section 6(1) of the Government Savings Certificates Act, 1959, I .....the holder of Savings Certificate(s) mentioned in this application hereby nominate the person(s) mentioned below who shall, on my death become entitled to the Savings Certificate(s) and the amount due thereon to the exclusion of all other person(s):—

Serial No.	Name of the Nominee(s)	Full address	Date of birth of nominee in case minor.

As the nominee(s) at serial No. (s)..... above is/are minor(s), I appoint Shri/Smt./Kumari .....(name and full address) as the

++Applicable in the case of Single Holder Type Certificates only; to be crossed out in other cases.

person to recover the amount due thereon in the event of my death during the minority of the nominee(s).

.....

Signature and full address
of witness

Signature or thumb impression
(if illiterate) of holder.

To be completed by the Post Office

Serial No. of Certificates issued.	Issue Price Rs.	Date of Payment of interest	Date of encashment and initials of Post master.	Remarks like Transfer issue of Duplicates etc. and initials of Post master

Total number of National Savings Certificates (V Issue).....

Date .....19 . Signature of Postmaster.

FORM 2

[*See* rule 17(1)]

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

Serial No. .....

Form of application for nomination under section 6 of the Government Savings Certificates Act, 1959.

(This Form will be filled in by the holder and submitted with the certificates to the Postmaster of the office where the certificates stand registered).

To

The Postmaster,

Under provisions of section 6(1) of the Government Savings Certificates Act, 1959, I .....the holder of Savings Certificate/s detailed on the reverse, hereby nominate the person/s mentioned below, who shall, on my death, become entitled to the Savings Certificate/s and to be paid the sum due thereon to the exclusion of all other persons. I hereby declare that I have not so far made any nomination in respect of these certificates. The certificates are enclosed.

Serial No.	Name of the nominee	Full address	Date of birth of nominee in case of minor

As the nominee/s at serial .....above is/are minor/s, I appoint Shri/Smt./Kumari .....(name and full address) as the person

to recover the sum due thereon in the event of my death during the minority of the nominee/s.

S. Nos. of Certificates	Denomination	Date of issue	Office of issue

Yours faithfully,

Address:

(In case of illiterate holder, father's name should be given).

Witness :

Name } (1)
Address }

Name } (2)
Address }

Signature (thumb impression of Illitrate) of holder.

N.B.—In the case of illiterate holders, the witnesses shall be persons whose signatures are known to the Post Office.

Order of the Postmaster accepting the nomination.

Signature of Head/Sub-Postmaster.

FORM 3

[*See* rule 17(3)]

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

Serial No.

Form of application for cancellation or variation of nomination previously made in respect of Savings Certificates under section 6 of the Government Savings Certificates Act, 1959.

(This form will be filled in by the holder and submitted with the certificate to the Postmaster of the office where the certificate stands registered).

To

The Postmaster,

Under provisions of section 6(1) of the Government Savings Certificates Act, 1959, I, ...the holder of Savings Certificates detailed on the reverse, hereby cancel the nomination previously made by me in respect of these certificates and registered in your office under No. ..... dated .....

*In place of the cancelled nomination, I hereby nominate the person/s mentioned below who shall, on my death, become entitled to the Savings Certificate/s and to be paid the sum due thereon to the exclusion of all other persons.

As the nominee/s at serial .....above is/are minor/s, I appoint Shri/Smt./Kumari .....(name and full address) as the person to recover the sum due thereon in the event of my death during the minority of the nominee/s.

The certificates are enclosed.

Sl. Nos. of certificates	Denomination	Date of issue	Office of issue

Address:

(In case of illiterate holder, father's name should be given).

Yours faithfully,

Signature (thumb impression if illiterate) of holder.

Witness:

Name
Address } (1)

Name
Address } (2)

N.B.—In the case of illiterate holders, the witnesses shall be persons whose signatures are known to the Post Office.

Orders of the Postmaster accepting the nomination:

Signature of Head/Sub-Postmaster.

[No. F. 3(5)-NS/72.]

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1973

सा० का० नि० 421 (अ).—सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत-पत्र (पंचम निर्गम) नियम, 1973 है ।

(2) ये 1 दिसम्बर, 1973 को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये राष्ट्रीय बचत-पत्र (पंचम निर्गम) को लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं .**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(i) "अधिनियम" से सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) अभिप्रेत है ;

(ii) "पत्र" से राष्ट्रीय बचत-पत्र (पंचम निर्गम) अभिप्रेत है ;

(iii) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(iv) "सरकारी कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है ;

(v) "पहचान परची" से ऐसी पहचान परची अभिप्रेत है जो नियम 11 के अधीन किसी पत्र के धारक को दी गई है ;

(vi) "पुराना पत्र" से ऐसा पत्र अभिप्रेत है जो डाकघर बचत-पत्र नियम, 1960 या राष्ट्रीय बचत-पत्र (प्रथम निर्गम) नियम, 1965 के अधीन दिया गया है ;

(vii) "डाकघर" से भारत में ऐसा डाकघर अभिप्रेत है जो बचत बैंक का कार्य कर रहा हो ।

3. **वे अभिधान जिनमें ये पत्र दिए जाएंगे .**—राष्ट्रीय बचत-पत्र (पंचम निर्गम) 10 रु०, 50 रु० और 100 रु० के अभिधानों में जारी किए जाएंगे ।

4. **पत्रों के प्रकार और उनका जारी किया जाना .**—(1) पत्र निम्नलिखित प्रकार के होंगे, अर्थात् :—

(क) एकल धारक प्रकार के पत्र;

(ख) संयुक्त "क" प्रकार के पत्र; और

(ग) संयुक्त "ख" प्रकार के पत्र ।

(2) (क) एकल धारक प्रकार के पत्रों को किसी वयस्क को स्वयं उसकी ओर से या किसी अवयस्क की ओर से या किसी अवयस्क को जारी किया जाएगा;

(ख) संयुक्त "क" प्रकार के पत्रों को दो ऐसे व्यस्कों को जारी किया जा सकेगा जो दोनों धारकों को संयुक्त रूप से या उत्तरजीवी को देय हो;

(ग) संयुक्त "ख" प्रकार के पत्रों को दो ऐसे व्यस्कों को संयुक्त रूप से जारी किया जा सकेगा जो धारकों में से किसी को या उत्तरजीवी को देय हो।

5. **पत्रों का क्रय.**—किसी भी रकम के पत्रों का क्रय किया जा सकेगा।

6. **पत्रों के क्रय के लिये प्रक्रिया** :—वह व्यक्ति, जो पत्र का क्रय करने की इच्छा करता है, या तो स्वयं या अपने संदेशवाहक या लघु बचत-योजना के किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्ररूप 1 (जो सभी डाकघरों में मुफ्त मिलता है) में आवेदन 1 अक्तूबर, 1973 को या उसके पश्चात् प्रस्तुत करेगा।

7. **विविध निबंधन.**—पत्र के क्रय के लिए संदाय निम्नलिखित रीतियों में से किसी में किसी डाकघर में किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(i) नकदी ;

(ii) चैक, संदाय आदेश या मांग देय ड्राफ्ट ;

(iii) डाकघर बचत बैंक खाते से प्रत्याहरण के लिए पासबुक सहित प्रत्याहरण प्ररूप जो सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित हो।

(iv) उन पुराने परिपक्व पत्रों का अभ्यार्पण जिन्हें निम्नलिखित रूप में सम्यक् रूप से उन्मोचित किया गया हो,

"नये पत्रों के जारी करने से संदाय प्राप्त हुआ—संलग्न आवेदन देखिए।"

8. **पत्रों का जारी किया जाना** :—(1) नियम 7 के अधीन संदाय करने पर प्रसाभान्यतः पत्र तत्काल जारी किया जाएगा और इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय ऐसे पत्र की तारीख उसकी जारी करने की तारीख होगी ;

परन्तु जब किसी चैक, संदाय-आदेश या मांग देय ड्राफ्ट द्वारा संदाय किया जाता है तो चैक, संदाय आदेश या मांग देय ड्राफ्ट के आगमों के वसूल होने से पूर्व ऐसा पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(2) यदि किसी कारण पत्र तत्काल जारी नहीं किया जा सकता है तो क्रेता को ऐसे अनन्तिम रसीद दी जाएगी जो बाद में पत्र में बदली जा सकेगी और ऐसी दशा में पत्र की तारीख वह होगी जो अनन्तिम रसीद की तारीख है।

9. **पुराने पत्र के आगमों के बदले में पत्र.**—पुराने पत्र का ऐसा धारक जो उस पत्र के भुनाने का हकदार है, प्ररूप 1 में इन नियमों के अधीन पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेगा; ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर आवेदक को इन नियमों के अधीन पत्र जारी किया जाएगा और जारी करने की तारीख वह होगी जिसको पुराना पत्र परिपक्व हुआ।

10. **अनियमित धृतियां.**—(1) इन नियमों के उल्लंघन में क्रय या अर्जित किया गया किसी पत्र को धारक द्वारा वैसे ही भुनाया जाएगा जैसे ही इन नियमों के उल्लंघन में धृति के तथ्य के बारे में पता चलता है और इन नियमों के उल्लंघन में किसी धृति पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(2) यदि किसी धृति पर जो इन नियमों के उल्लंघन में है, कोई ब्याज दिया गया हो तो उसे तुरन्त सरकार को वापस दिया जाएगा जिसके न होने पर सरकार अन्तर्वलित रकम को उस धन से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की हकदार होगी जो सरकार द्वारा विनिधानकर्ता को देय है ।

11. **पहचान पर्ची** :—(1) यदि किसी अवयस्क की ओर से धारण करने वाले व्यक्ति सहित किसी पत्र के एकल व्यस्क धारक द्वारा या संयुक्त धारकों द्वारा उस डाकघर के पोस्ट मास्टर को जहां पत्र की रजिस्ट्री की गई है, किसी भी समय पहचान पर्ची जारी करने के लिए निवेदन किया जाए, तो ऐसे धारक या धारकों को पहचान पर्ची, उसके या उनके द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् जारी की जाएगी ।

(2) पत्र के अन्तिम उन्मोचन के समय पहचान पर्ची अभ्यर्पित की जाएगी या उसके खो जाने पर ऐसे खो जाने के बारे में डाक-तार महानिदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में डाक घर को घोषणा की जाएगी ।

12. **एक डाक घर से दूसरे डाक घर को अन्तरण**.—(1) किसी पत्र को किसी ऐसे डाक घर से, जहां वह रजिस्ट्रीकृत है, किसी अन्य डाक घर को डाक-तार महानिदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में धारक या धारकों द्वारा दोनों डाक घरों में से किसी डाक-घर में आवेदन करने पर अन्तरित किया जा सकेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन पर धारक या धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ;

परन्तु संयुक्त प्रकार के पत्र की दशा में आवेदन पत्र धारकों में से किसी एक के द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकेंगे, यदि दूसरा मर गया हो ।

13. **पत्र का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरण किया जाना**.—(1) किसी पत्र को डाकघर के किसी अधिकारी की लिखित पूर्व सम्मति से अन्तरित किया जा सकेगा जैसे कि नीचे विनिर्दिष्ट है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् इन नियमों में प्राधिकृत पोस्ट मास्टर कहा गया है) ।

मामले जिनमें अन्तरण की मंजूरी दी जा सकती है	उस अधिकारी का पदनाम जो अन्तरण की अनुज्ञा देने के लिए सक्षम है
(क) (i) मृतक धारक के नाम से उसके वारिस को;	प्रधान पोस्ट मास्टर या उस डाक घर के उप पोस्ट मास्टर जहां पत्र रजिस्ट्रीकृत है ।
(ii) किसी धारक से न्यायालय को या न्यायालय के आदेश के अधीन किसी व्यक्ति को,	
(iii) एकल धारक से संयुक्त धारकों के नाम जिनमें अन्तरक एक व्यक्ति होगा,	
(iv) संयुक्त धारकों में से किसी के नाम	
(ख) अन्य मामलों में	प्रधान पोस्ट मास्टर ।

(2) प्राधिकृत पोस्ट मास्टर पत्र के अन्तरण के बारे में अपनी सम्मति तभी देगा जब कि निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो जाता है, अर्थात् :—

(क) जारी करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पत्र का अन्तरण प्रभावशील होगा या जहां अन्तरण उस अवधि से पूर्व किया जाता है, वहां अन्तरण निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी में आता है, अर्थात् :—

(i) प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण किसी निकट सम्बन्धी को अन्तरण ;

स्पष्टीकरण —"निकट सम्बन्धी" से पति-पत्नी, पारम्परिक पूर्व-पुरुष या पारम्परिक वंशज, भ्राता या भगिनी ।

(ii) मृतक धारक के वारिस के नाम अन्तरण ;

(iii) किसी धारक से न्यायालय या न्यायालय के आदेशों के अधीन किसी व्यक्ति को अन्तरण ;

(iv) नियम 15 के अनुसार अन्तरण; और

(v) संयुक्त धारकों में से किसी की मृत्यु हो जाने की दशा में उत्तरजीवी के नाम अन्तरण ।

(ख) अन्तरण के लिए आवेदन डाक और तार महानिदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में दिया जाएगा । ऐसे प्रत्येक आवेदन पर उसके धारक या धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

परन्तु संयुक्त प्रकार के पत्रों की दशा में आवेदन पर धारकों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकेगा यदि दूसरा मर गया हो ।

(3) नियम (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकृत पोस्ट मास्टर किसी अवयस्क की ओर से धारण किए गए पत्र के अन्तरण के बारे में ही अपनी सम्मति देगा, यदि प्रस्थापित अन्तरण के समय यथास्थिति, अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (ख) के उप खण्ड (i) या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट माता या पिता या संरक्षक लिखित रूप में यह प्रमाणित करता है कि अवयस्क जीवित है और ऐसा अन्तरण उसके हित में है ।

(4) अन्तरण की प्रत्येक दशा में जो कि नियम 15 के अधीन किया गया अन्तरण से भिन्न है, मूल पत्र को सम्यक रूप से उन्मोचित किया जाएगा और नये पत्र जिस पर वही तारीख है जो अभ्यर्पित मूल पत्र की है, अन्तरिती के नाम जारी किया जाएगा ।

14. **एकल धारक से संयुक्त धारक को अन्तरण और विलोम** .—नियम 13 के उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस आशय के आवेदन करने पर :—

(क) एकल धारक के नाम के पत्र को धारकों और किसी अन्य व्यक्ति के संयुक्त नाम में अन्तरित किया जा सकेगा ;

(ख) संयुक्त धारकों के नामों के पत्र को संयुक्त धारकों में से किसी के नाम में अन्तरित किया जा सकेगा ।

15. **पत्र का गिरवी रखा जाना**.—(1) डाक-तार के महानिदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में अन्तरक और अन्तरिती द्वारा आवेदन करने पर रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का पोस्टमास्टर किसी भी समय ऐसे पत्र का अन्तरण :—

(क) भारत के राष्ट्रपति या राज्य के गवर्नर को उसकी शासकीय हैसियत में होने देगा ;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक किसी सहकारी सोसाइटी को होने देगा ;

(ग) किसी निगम या सरकारी कम्पनी को होने देगा; और

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकारी को होने देगा :

परन्तु किसी अवयस्क की ओर से क्रय किए गए पत्र का अन्तरण इस उपनियम के अधीन तब तक नहीं होने दिया जाएगा जब तक पत्र का क्रेता यह प्रमाणित नहीं करता है कि अवयस्क जीवित है और अन्तरण अवयस्क के फायदे के लिए है।

(2) जब नियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में किसी पत्र का अन्तरण किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण डाकघर का पोस्ट मास्टर पत्र पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात् :—

"प्रतिभूति के रूप में ..... को अन्तरित।"

(3) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस नियम के अधीन किसी पत्र के अन्तरिती के बारे में तब तक यह समझा जाएगा कि वह पत्र का धारक है तब तक कि उसका अन्तरण उपनियम (4) के अधीन नहीं हो जाता है।

(4) उपनियम (2) के अधीन अन्तरित पत्र को गिरवीदार के लिखित प्राधिकार पर प्राधिकृत पोस्ट मास्टर की पूर्व मंजूरी से पुनः अन्तरित किया जा सकेगा और जब ऐसा पुनः अन्तरण किया जाता है तब रजिस्ट्रीकरण डाकघर का पोस्ट-मास्टर पत्र पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा; अर्थात् :

"..... को पुनः अन्तरित"

टिप्पण 1.—भारत का ऐसा राजपत्रित अधिकारी जो राष्ट्रपति या राज्य के गवर्नर की ओर से उपनियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में पत्रों को स्वीकार करता है या उपनियम (1) के अधीन गिरवी का विमोचन करता है यह प्रमाणित करेगा कि वह भारत सरकार के————————मंत्रालय / ————————राज्य सरकार की अधिसूचना सं०————————तारीख ————————द्वारा भारत के राष्ट्रपति/ ————————राज्य के गवर्नर की ओर से लिखत या विलेख निष्पादित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत है।

टिप्पण 2.—यथास्थिति भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारिता सोसाइटी का, जिसमें कोई स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित है, ऐसा अधिकारी जो तत्सम्बन्धी संस्थाओं की ओर से उपनियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में पत्र स्वीकार करता हो या उप नियम (4) के अधीन गिरवी का विमोचन करता हो तारीख सहित अपने हस्ताक्षर और कार्यालय की मुद्रा के अधीन यह प्रमाणित करेगा कि वह उक्त संस्था के

अनुच्छेदों के अधीन उसकी ओर से ऐसी लिखित या विलेख निष्पादित करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत है ।

(5) जब कि किसी पत्र पर उपनियम (2) और (4) के अधीन किये गये कई पृष्ठांकनों के परिणामस्वरूप उस पत्र पर उसी प्रकार का अतिरिक्त पृष्ठांकन करने के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता है, तो ऐसे पत्र के बदले में रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के पोस्ट मास्टर द्वारा एक नया पत्र जारी किया जा सकेगा ।

(6) उपनियम (5) के अधीन जारी किए गए किसी नए पत्र को इन नियमों के सभी प्रयोजनों के लिए उस पत्र के समतुल्य समझा जाएगा जिसके बदले में उसे जारी किया गया है ।

16. **खोए गए या नष्ट किये गए पत्र का प्रतिस्थापन.**—(1) यदि कोई पत्र खो गया हो, चोरी हो गया हो, नष्ट हो गया हो, विकृत हो गया हो या विरूपित हो गया हो तो उसका हकदार व्यक्ति उस डाकघर को जिसमें पत्र का रजिस्ट्रीकरण हुआ है या किसी अन्य डाकघर को, जिस दशा में आवेदन रजिस्ट्रीकरण डाकघर को भेज दिया जाएगा पत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ :—

(क) विशिष्टियां दर्शित करने वाला विवरण, जैसे कि पत्र की संख्या, रकम और तारीख तथा वे परिस्थितियां जिनमें ऐसी हानि चोरी, विनाश, विकृति या विरूपण हुआ हो,

(ख) एक पहचान पर्ची, यदि कोई हो,

होंगे ।

(3) यदि रजिस्ट्रीकरण डाकघर के भार-साधक अधिकारी का पत्र की हानि, चोरी, विनाश, विकृति या विरूपण के बारे में समाधान हो जाता है, तो वह पत्र की दूसरी प्रति डाक-तार के महानिदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में तब जारी करेगा जब कि आवेदक ने एक या अधिक अनुमोदित प्रतिभूति या बैंक की गारण्टी सहित डाक तार के महानिदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में एक क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र दे दिया हो :

परन्तु जब कि खोए गए, चोरी हुए, नष्ट हुए, विकृत हुए या विरूपित हुए पत्र या पत्रों का अंकित या कुल अंकित मूल्य 500 रु० या उससे कम हो तो पत्र या पत्रों की दूसरी प्रति ऐसी प्रतिभूति या गारण्टी के बिना एक क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र देने पर आवेदक को जारी की जा सकेगी :

परन्तु यह और भी कि जब कि ऐसा आवेदन ऐसे पत्र के बारे में किया जाता है जो विकृत या विरूपित हो, चाहे वह कितना ही अंकित मूल्य का हो, तो पत्र की दूसरी प्रति ऐसे क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र या गारण्टी के बिना जारी की जा सकेगी, जब कि विकृत या विरूपित पत्र और पहचान-पर्ची यदि कोई हो, का अभ्यर्पण किया जाता हो और पत्र की पहचान मूल रूप से जारी किये गये पत्र के रूप में की जा सकती है ।

(4) इन नियमों के सभी प्रयोजनों के लिए उपनियम (3) के अधीन जारी की गई पत्र की दूसरी प्रति को मूल पत्र के समतुल्य माना जाएगा सिवाय इसके कि इसे उस डाकघर से जिस में ऐसे पत्र का रजिस्ट्रीकरण हुआ हो, अन्य किसी डाकघर में पूर्व-सत्यापन के बिना भुनाया नहीं जा सकेगा।

17. **नामनिर्देशन**— (1) नियम 4 के उपनियम (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट एकल प्रकार के पत्र का धारक ऐसे किसी व्यक्ति को पत्र का क्रय करने के समय प्ररूप 1 में आवश्यक विशिष्टियां भर कर नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जो उसकी मृत्यु की दशा में पत्र और उस पर शोध्य रकम के संदाय का हकदार होगा। यदि ऐसा कोई धारक पत्र का क्रय करने के समय प्ररूप 1 में नामनिर्देशन के सम्बन्ध में आवश्यक विशिष्टियां नहीं भरता है तो पत्र क्रय करने के पश्चात्, किसी भी समय, किन्तु उसके परिपक्व होने के पूर्व, उस डाकघर के जिस में पत्र का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो, पोस्ट मास्टर को प्ररूप 2 में एक आवेदन करेगा जिस में वह किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा जो उसकी मृत्यु की दशा में उस पत्र और उस पर देय रकम के संदाय का हकदार होगा :

परन्तु एक से अधिक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करने का हकदार नहीं होगा।

(2) ऐसे किसी पत्र के बारे में कोई नामनिर्देशन नहीं होगा जिसके बारे में किसी अवयस्क द्वारा या उसकी ओर से आवेदन किया गया है और जो उसके द्वारा या उसकी ओर से धारित है।

(3) इस नियम के अधीन पत्र के धारक द्वारा किये गए नामनिर्देशन को उस डाकघर के, जिस में वह रजिस्ट्रीकृत है, पोस्ट मास्टर को पत्र सहित नियम 28 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट मूल्य के डाक टिकट लगाकर प्ररूप 3 में आवेदन कर के रद्द या परिवर्तित किया जा सकेगा।

टिपण— विभिन्न समयों पर रजिस्ट्रीकृत पत्रों के बारे में पृथक आवेदन किये जायेंगे।

(4) नामनिर्देशन, या किसी नामनिर्देशन का रद्दकरण या किसी नाम निर्देशन का फेरफार उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को यह डाकघर में रजिस्ट्रीकृत हुआ है, जिसे पत्र पर लिखा जाएगा।

18. **कब भुनाया जा सकेगा**— (1) उपनियम (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय निर्गम की तारीख से 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी अभिधान का कोई राष्ट्रीय बचत पत्र (पंचम निर्गम) किसी भी समय भुनाया जा सकेगा।

(2) निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी के अधीन न भुनाने की अवधि से पूर्व किसी पत्र को भुनाया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारक की या संयुक्त धृति की दशा में दोनों धारकों की, मृत्यु पर ;

(ख) जब उसकी गिरवी इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप हो तो ऐसे गिरवीदार द्वारा समपहरण पर जो सरकारी राजपत्रित अधिकारी होगा,

(ग) जब पत्र इन नियमों के उल्लंघन में जारी किया गया हो, और

(घ) जब न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो।

19. **भुनाए जाने का स्थान.**— कोई पत्र उस डाकघर पर जहां वह रजिस्ट्रीकृत हुआ है, भुनाया जा सकेगा :

परन्तु किसी अन्य डाकघर पर यदि उस डाकघर के भार-साधक अधिकारी का, उस रजिस्ट्रीकरण के डाकघर से पहचान पर्ची या यह सत्यापन करने पर कि भुनाने के लिए पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उसके भुनाने का हकदार है, समाधान हो जाए, पत्र को भुनाया जा सकेगा ।

20. **पत्रों का उन्मोचन**—(1) किसी पत्र के अधीन देय रकम को प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति इसके भुनाए जाने पर, इसके पीछे संदाय प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा ।

(2) किसी अवयस्क की ओर से क्रय किए गए पत्र की दशा में जिसने अब वयस्कता प्राप्त कर ली है, पत्र को उस व्यक्ति द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जाएगा किन्तु उसके हस्ताक्षर या तो उस व्यक्ति द्वारा जिसने इसे उसकी ओर से क्रय किया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे पोस्टमास्टर जानता है, अनप्रमाणित किए जाएंगे ।

(3) नियम 28 के उपनियम (1) के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय किए जाने पर पत्र के भुनाने वाले किसी व्यक्ति को डाकघर द्वारा उन्मोचन का प्रमाण-पत्र दिया जा सकेगा ।

21. **अवयस्क के पत्र का भुनाया जाना**:—(1) अवयस्क की ओर से पत्र को भुनाने वाला व्यक्ति एक प्रमाण-पत्र देगा कि अवयस्क जीवित है और धन की अवयस्क की ओर से अपेक्षा है ।

(2) जब नामनिर्देशिती अवयस्क है तो अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त व्यक्ति पत्र को भुनाते समय एक प्रमाण-पत्र देगा कि अवयस्क जीवित है और धन की अवयस्क की ओर से अपेक्षा है ।

22. **वारिसों को संदाय**.—(1) आधानयम की धारा 7 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित नामित प्राधिकारी पत्र के धारक की मृत्यु पर प्रत्येक के सामने दी गई सीमा तक उस की बिल के प्रोबेट या उसकी संपदा के प्रशासन पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के दिए बिना दावे को मंजूर करने के लिए सक्षम होंगे :—

काल-वेतन-मान विभागीय उप-पोस्टमास्टर . . .	100 रु०
निम्न चयन-श्रेणी उप-पोस्टमास्टर	250 रु०
अराजपत्रित प्रधान पोस्टमास्टर और उप-पोस्टमास्टर जो उच्चतर चयन-श्रेणी में हैं	500 रु०
राजपत्रित पोस्ट मास्टर, डाकघरों के अधीक्षक, डाकघरों के ज्येष्ठ-अधीक्षक	3,000 रु०
डाक सर्किलों के प्रधान (सहायक निदेशक, सहायक पोस्टमास्टर जनरल)	5,000 रु०

(2) दावेदार द्वारा एक घोषणा दी जाएगी कि उस के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार मृत व्यक्ति के नाम में उन पत्रों से भिन्न, जिनके लिए संदाय ईप्सित है, कोई अन्य पत्र विद्यमान नहीं है और यदि तत्पश्चात् कोई पत्र 5,000 रु० के मूल्य से अधिक में पाया जाए तो उत्तराधिकार का विधिक साक्ष्य, जैसा डाकघर द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत किया जाएगा ।

23. **सेना या वायु सेना के कार्मिकों द्वारा धारित पत्रों का भुनाया जाना.**—जहां पत्र के धारण करने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु या अभित्यजन पर और सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के प्रयोजन, यथास्थिति, उस कोर, विभाग, टुकड़ी या यूनिट जिसका मृत व्यक्ति या अभित्याजक था, का कमांडिंग आफिसर, समायोजन समिति, सेना और वायुसेना (निजी संपत्ति का व्ययन) अधिनियम, 1950 (1950 का 40) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के अधीन एक अध्यापेक्षा उस डाकघर के भारसाधक अधिकारी को, जहां पत्र रजिस्ट्रीकृत हुआ है, पत्र के अधीन देय रकम उसे संदाय करने के लिए भेजता हो तो डाकघर का अधिकारी ऐसी अध्यापेक्षा का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

24. **नामनिर्देशितियों के अधिकार.** — (1) पत्र के धारक की मृत्यु की दशा में जिसकी बाबत नामनिर्देशन प्रवृत्त है, नामनिर्देशिती, पत्र की परिपक्वता से पूर्व या पश्चात् किसी भी समय :—

(क) पत्र को भुनाने; या

(ख) पत्र को समुचित अभिधानों में, व्यक्तिगत नामनिर्देशितियों या संयुक्त रूप से दो वयस्क नाम निर्देशितियों के पक्ष में उप-विभाजित करने,

का हकदार होगा या होंगे ।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए, उत्तरजीवी नामनिर्देशिति रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय के पोस्टमास्टर को धारक की मृत्यु और मृत नामनिर्देशिति, यदि कोई है, के बारे में सबूत के साथ, एक आवेदन देगा, देंगे ।

(3) यदि एक से अधिक नामनिर्देशिती हों तो सब नाम-निर्देशिती संदाय को प्राप्त करते समय या उप-विभाजन के समय पत्र का संयुक्त उन्मोचन करेंगे ।

टिप्पणी. —जहां नामनिर्देशन किसी एकल नामनिर्देशिती या दो वयस्क नामनिर्देशितियों के पक्ष में है वहां रजिस्ट्रीकरण का डाकघर उस निमित्त आवेदन दिए जाने पर यथा स्थिति, ऐसे नाम निर्देशिती या संयुक्त रूप से नामनिर्देशितियों के नाम में नया पत्र जारी कर सकेगा ।

25. **एक अभिधान से दूसरे में संपरिवर्तन.** —(1) कम अभिधानों के पत्र उसी अंकित मूल्य के उससे अधिक अभिधान के पत्र या पत्रों में विनिमय किये जा सकेंगे या अधिक अभिधान का पत्र उसी अंकित मूल्य के उस से कम अभिधान के पत्रों में विनिमय किया जा सकेगा ।

(2) विनिमय किए हुए पत्र के जारी किए जाने की तारीख वही होगी जो अभ्यर्पित किए गए मूल पत्र की है, वह तारीख नहीं जिसको इसका विनिमय हुआ है ।

26. पत्र के उन्मोचन पर देय रकम.—(1) प्रतिधारण के प्रत्येक, पूरे वर्ष के पश्चात् विभिन्न अभिधानों के पत्रों पर देय रकम (ब्याज सहित) वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है, अर्थात् :—

सारणी

राष्ट्रीय बचत पत्र (पंचम निर्गम) का अभ्यर्पण मूल्य

	पूरे वर्ष के पश्चात् देय (ब्याज सहित) रकम				
अंकित मूल्य	3	4	5	6	7
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
10 रु०	12.20	12.20	14.20	14.20	16.60
50 रु०	61.00	61.00	71.00	71.00	83.00
100 रु०	122.00	122.00	142.00	142.00	166.00

(2) नियम 18(2) के अधीन भुनाए जाने वाले 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों (पंचम निर्गम) का अभ्यर्पण मूल्य वह होगा जो निम्नलिखित सारणी में दर्शित किया गया है, अर्थात्:—

सारणी

नियम 18(2) के अधीन 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों (पंचम निर्गम) का अभ्यर्पण मूल्य

	रु०	रु०	रु०
अंकित मूल्य	10	50	100
निर्गम की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर किन्तु 2 वर्ष की समाप्ति के पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	10.60	52.85	105.75
निर्गम की तारीख से 2 वर्ष की समाप्ति पर किन्तु 3 वर्ष की समाप्ति के पूर्व अभ्यर्पण मूल्य	11.25	56.30	112.60

27. **आय कर.**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन इन पत्रों के ब्याज पर आयकर लगेगा किन्तु पत्र के उन्मोचन मुल्य के संदाय के समय आयकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

28. **फीस.**—(1) निम्नलिखित संव्यवहारों के बारे में 25 पैसे की फीस प्रभार्य होगी, अर्थात :—

(i) पत्र का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरण (नियम 14 के अधीन अन्तरण से भिन्न) या मृत-धारक के नाम से उसके वारिस के नाम अन्तरण या धारक से न्यायालय को या न्यायालय आदेश के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण या नियम 15 के अधीन किए गए अन्तरण या नियम 13 के उप-नियम (2) के खण्ड (क) के उप खण्ड (5) में निर्दिष्ट अन्तरण ;

(ii) नियम 16 के अधीन पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना ;

(iii) नियम 20 के अधीन उन्मोचन पत्र का जारी किया जाना ;

(iv) नियम 25 के अधीन एक अभिधान से दूसरे अभिधान में संपरिवर्तन ।

(2) नामनिर्देशन के रजिस्ट्रीकरण या नामनिर्देशन में फेरफार या उसके रद्द करण के लिए प्रत्येक आवेदन पर पचास पैसे की फीस प्रभार्य होगी ।

परन्तु प्रथम नामनिर्देशन के रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदन पर कोई फीस प्रभार्य नहीं होगी ।

29. **डाकघर का उत्तरदायित्व.** —धारक को किसी व्यक्ति द्वारा पत्र के कब्जे में अभिप्राप्त करने और इसे कपट पूर्वक भुनाने से कारित हानि के लिए डाकघर उत्तरदायी नहीं होगा ।

39. **भूल की परिशुद्धि.**—डाकसार महानिदेशक, या पोस्टमास्टर जनरल या डाक प्रभागों के प्रधान अपने-अपने अधिकारिता में रहते हुए, या तो स्वप्रेरणा से या इन नियमों के अनुसरण में जारी किए गए पत्र में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर, उस पत्र की बाबत किसी लेखन या गणित सम्बन्धी भूल को परिशुद्ध कर सकेगा, परन्तु इससे सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति को कोई वित्तीय हानि न हो ।

प्ररूप–1

(नियम 6 देखिए)

राष्ट्रीय बचत पत्र (पंचम निर्गम) के क्रय के लिए आवेदन का प्ररूप

(1) मैं/हम राष्ट्रीय बचत पत्रों (पंचम निर्गम) के क्रय के लिए जिनका ब्यौरा नीचे के विवरण में दिया है, आवेदन करता हूं/करते हैं और विवरण के स्तंभ 1 में दर्शित रकम निविदत्त करता हूं/करते हैं: —

निविदा का प्ररूप	रकम रु०	उन पत्रों का अभिधान जिन के लिए आवेदन किया गया है	अपेक्षित पत्रों की संख्या	*अपेक्षित संयुक्त पत्रों का प्ररूप ("क" या "ख" प्रकार)	कुल अंकित मूल्य रु०
1	2		3	4	5
(i) नकदी					
(ii) चेक, मांगदेय ड्राफ्ट या किसी अनुमोदित स्थानीय बैंक का संदाय आदेश, या संदाय पर्ची की संख्या संख्या———तारीख——— ———बैंक लेख———	10				
(iii) डाकघर बचत बैंक से प्रत्याहरण के लिए आवेदन	50				
(iv) पुनः विनिधान के लिए परिपक्व पत्र	100				
कुल अंकित मूल्य					

*केवल संयुक्त धृति की दिशा में भरा जाना है ।

(क) **मेरे/हमारे नाम/नामों (मोटे अक्षरों में) उपनामों सहित, यदि कोई हो, तो मैं

एकल या संयुक्त धारक के लिए

(ख) *अवयस्क की ओर से (मोटे अक्षरों में) ——————————
अवयस्क की ओर से क्रय के लिए

अवयस्क की जन्म तारीख ——————————

और अवयस्क के —

(i) पिता , (ii) माता, (iii) माता या पिता में से कोई एक, (iv) विधिक संरक्षक द्वारा भुनाए जा सकेंगे ।

(अनापेक्षित अनुकल्पों को या सभी मदों को यदि प्राधिकरण करने की वांछा नहीं है , काट दीजिए) ।

(क) या (ख) में से जो अपेक्षित नहीं है उसे काट दीजिए।

(2) मैं / हम राष्ट्रीय बचत पत्र (पंचम निर्गम) नियम, 1973 का पालन करने के लिए करार करता हूं / करते हैं ।

(3) ***मुझे / हमको पहचान पर्ची की अपेक्षा है / नहीं है।

'किसी प्राधिकृत अभिकर्ता या संदेश वाहक की मार्फत किसी विनिधान की दशा में नमूना हस्ताक्षर और पहचान चिह्न, पैरा (5) के नीचे दिए जाने चाहिए।

***जो लागू नहीं है उसे काट दीजिए ।

टिप्पण.—अवयस्क की ओर से किए गए क्रय की दशा में किसी प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को, कोई पहचान पर्ची जारी नहीं की जायेगी। उपरोक्त पैरा (1)(ख) देखिए।

उपरोक्त पैरा 1(ख) के अनुसार प्राधिकृत विनिधानकर्ता के हताक्षर या अंगूठे का निशान
व्यक्ति / व्यक्तियों के हस्ताक्षर (अंगूठे का (यदि निरक्षर हो तो)
निशान नहीं)
यदि कोई हो ।

तारीख —————————— तारीख ——————————

पता—————————— पता ——————————

——————————— ———————————

टिप्पण.—निरक्षर आवेदक की दशा में उसके पिता का नाम दिया जा सकेगा :

(4) पत्र और पहचान पर्ची मेरे / हमारे अभिकर्ता श्री / श्रीमती .....
. .... की जिसके बारे में प्राधिकार सं० ..... है,
या संदेश वाहक को जो यह आवेदन पेश करता है, दे दिया जाए।

(जो शब्द लागू नहीं होते उन्हें काट दीजिए)

.....
विनिधानकर्ता के हस्ताक्षर या
अंगूठे का निशान (यदि निरक्षर हो तो)

*विनिधानकर्ता पत्रों का वैयक्तिक रूप से परिदान नहीं लेता है तो उस दशा में ही हस्ताक्षरित किया जाएगा या अंगूठे का निशान लगाया जाएगा ।

(5) पत्र जिसका ब्यौरा ऊपर दिया गया है @ और पहचान पर्ची प्राप्त किए । @यदि पहचान पर्ची जारी नहीं की जानी है तो उसे काट दीजिए ।

.....

क्रेता या उसके अभिकर्ता / संदेश वाहक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(प्राधिकृत अभिकर्ता की दशा में उसकी प्राधिकार संख्या दी जानी चाहिए)

पहचान के निशान । नमूना—हस्ताक्षर ।

(6)††सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के उपबन्धों के अधीन मैं ..... बचत पत्र (पत्रों), जो इस आवेदन में उल्लिखित हैं, का धारक एतद्द्वारा नीचे वर्णित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामनिर्देशित करता हूं जो मेरी मृत्यु पर बचत पत्र (पत्रों) के और अन्य सभी व्यक्ति (यों) को उपवर्जित करते हुए उस पर देय रकम को दिये जाने के लिए हकदार हो जाएंगे ।

क्रम सं०	नामनिर्देशिती का नाम	पूरा पता	अवयस्क की दशा में नाम, निर्देशिती की जन्म तारीख

जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या (संख्याओं) ..... पर नामनिर्देशिती अवयस्क है / हैं, मैं श्री, श्रीमती, कमारी ..... (नाम और पूरा पता) को, नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में देय राशी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं ।

....

साक्षी के हस्ताक्षर और पूरा पता धारक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(यदि निरक्षर हो,)

---

††केवल एकल धारक प्रकार के पत्रों की दशा में ही लागू होगा, अन्य मामलों में काट दिया जाए ।

डाकघर द्वारा पूरा किया जाना है

जारी किए गए पत्रों की क्रम संख्या	निर्गमन मूल्य रु०	ब्याज के [illegible] संदाय] की तारीख	भनाए जाने की तारीख और पोस्टमास्टर के संक्षिप्त हस्ताक्षर	टिप्पणियां जैसे कि दूसरी प्रति अन्तरण आदि और पोस्टमास्टर के संक्षिप्त हस्ताक्षर

राष्ट्रीय बचत पत्र (पंचम निर्गमन) की कुल संख्या .....

तारीख .....19 , पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर

प्ररूप 2

[नियम 17(1) देखिए]

भारतीय डाक तार विभाग

क्रम संख्या ----------

सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6 के अधीन नामनिर्देशन के लिए आवेदन का प्ररूप

(यह प्ररूप धारक द्वारा भरा जाएगा और उस कार्यालय के पोस्टमास्टर को जहां पत्र रजिस्ट्रीकृत हुए हैं, पत्रों सहित दिया जाएगा)

सेवा में

पोस्टमास्टर,

सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6 (1) के उपबन्धों के अधीन मैं ..... जो बचत पत्र / पत्रों, जिनका ब्यौरा आगे दिया गया है, का धारक हूं, एतद्द्वारा निम्न वर्णित ~~व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो~~ मेरी मृत्यु पर बचत पत्र / पत्रों और उन पर देय राशि जो संदाय होनी है, का / के अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए हकदार होगा / होंगे, नामनिर्देशित करता हूं। मैं

एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने इन पत्रों की बाबत अब तक कोई नामनिर्देशन नहीं किया है । पत्र संलग्न हैं ।

क्रम संख्या	नामनिर्देशिती का नाम	पूरा पता	अवयस्क की दशा में नामनिर्देशिती की जन्म तारीख

यथा उपरोक्त क्रम संख्या ..... पर नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं, मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (नाम और पूरा पता) को, नामनिर्देशिती /नामनिर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में उस पर देय राशि को वसूल करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं ।

पत्रों की क्रम संख्या	अभिधान	जारी करने की तारीख	जारी करने वाला कार्यालय

पत्ती

भवदीय,
(निरक्षर धारक की दशा में, पिता का नाम जाना चाहिए)

साक्षी

धारक के हस्ताक्षर (अंगूठे का निशान यदि निरक्षर हो)

नाम
पता
(1)

नाम
पता
(2)

ध्यान दीजिए:—निरक्षर धारक की दशा में साक्षी वे व्यक्ति होंगे जिनके हस्ताक्षर डाकघर में ज्ञात हों ।

नाम निदेशन को स्वीकार करने वाले पोस्टमास्टर का आदेश

डाकघर की तारीख स्टाम्प

प्रधान, उपपोस्टमास्टर के हस्ताक्षर

.....

प्ररूप 3

[नियम 17(3) देखिए]

भारतीय डाक तार विभाग

क्रम संख्या.....

सरकारी बचत पत्र अधिनियम 1959 की धारा 6 के अधीन बचत पत्रों की बाबत पूर्वतन किए गए नामनिर्देशन के रद्दकरण या उसमें फैरफार के लिए आवेदन का प्ररूप ।

(यह प्ररूप धारक द्वारा भरा जाएगा और उस कार्यालय के पोस्टमास्टर को जहां पत्र रजिस्ट्रीकृत हुआ है पत्र सहित दिया जाएगा)

सेवा में

पोस्टमास्टर .....

डाक टिकटों के लिए जगह

.....

सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के उपबन्धों के अधीन मैं, ... जो बचत पत्र, जिनका ब्यौरा आगे दिया गया है, का धारक हूं, एतद्द्वारा इन पत्रों, जो आपके कार्यालय में संख्या ..... तारीख ..... के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, की बाबत अपने पूर्वतन द्वारा किए गए नामनिर्देशन को रद्द करता हूं ।

रद्द किए गए नामनिर्देशन के स्थान पर मैं एतद्द्वारा निम्नवर्णित व्यक्ति/ व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता हूं जो मेरी मृत्यु पर पत्र / पत्रों और उन देय राशि जो संदाय होनी है का / के अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए हकदार होगा / होंगे ।

केवल फैरफार करने की

दशा में भरा जाना है ।

यथा उपरोक्त क्रम संख्या ..... पर नामनिर्देशिती अवयस्क है/ हैं, मैं श्री / श्रीमती / कुमारी .....(नाम और

पूरा पता) को नामनिर्देशिती / नामनिर्देशितियो की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में, उस पर देय राशि जो वसूल करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं ।

पत्र संलग्न है ।

पत्रों की क्रम संख्या	अभिधान	जारी करने की तारीख	जारी करने वाला कार्यालय

पता :

भवदीय,

(निरक्षर धारक की दशा में
पिता का नाम दिया जाना चाहिये)

धारक के हस्ताक्षर
(यदि निरक्षर हो तो अंगूठे का निशान)

साक्षी :

नाम
पता } (1)

नाम
पता } (2)

ध्यान दीजिए— निरक्षर धारकों की दशा में साक्षी वे व्यक्ति होंगे जिनके हस्ताक्षर डाकघर में ज्ञात हों ।

नाम निर्देशन को स्वीकार करने वाले
पोस्टमास्टर का आदेश

.....

डाकघर की तारीख स्टाम्प

प्रधान, उप-पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर

.....

[एफ० 3(5)—एन एस/72]

बो० मैत्रैयन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973